

विविध बैंक प्रकरण सं० 26/2019 (RCMS 2019/00043) भारतीय स्टेट बैंक शाखा-स्टेशन रोड, सूरतगढ, श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविंद कुमार, लडा प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-04, हनुमानगढ (राज.) बनाम मैसर्स एस.के.एग्रिकल्चर कर्क्स, जरिये प्रोपराइटर श्री दलीप कुमार स्वामी पुत्र श्री हरसुख दास स्वामी विासी वार्ड नं 04(पुराना वार्ड नं. 05), एनएच'15, नई धानमडी गेट के सामने, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. श्रीमति संतोष स्वामी पत्नि श्री दलीप कुमार स्वामी निवासी वार्ड नं. 04 (पुराना वार्ड नं. 05), एनएच-15, नई धान मंडी गेट के सामने, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

20.05.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्त उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फहरिस्त सूची में अंकित दस्तावेज पेश किये, जो शामिल किये गये। बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. एम.के. एग्रीकल्चर कर्क्स-प्रो. दलीप कुमार एवं संतोष स्वामी को ऋण सुविधा के रूप में 20.00 लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 08.07.2010 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण दलीप कुमार एवं संतोष स्वामी का मकान नं 601, वार्ड नं 04(पुराना वार्ड नं 5) नजदीक शिव मंदिर एन.एच.-15, सूरतगढ (क्षेत्रफल 60'X38'5" वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.07.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 09.10.2018 को 13,65,192/-रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.10.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों मै. एम.के.एग्रिकल्चर वर्क्स-प्रो. श्री दलीप कुमार एवं संतोष स्वामी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री दलीप कुमार एवं संतोष स्वामी की उक्त अचल सम्पत्ति मकान नं 601, वार्ड नं 04(पुराना वार्ड नं 5) नजदीक शिव मंदिर एनन.एच.-15, सूरतगढ (क्षेत्रफल 60'X38'5" वर्गफुट) जो कि प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. एम.के.एग्रिकल्चर वर्क्स-प्रो. दलीप कुमार एवं संतोष स्वामी 20.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये बीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 08.07.2010 को प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण श्री दलीप कुमार एवं संतोष स्वामी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं 601, वार्ड नं 04(पुराना वार्ड नं 5) नजदीक शिव मंदिर एनन.एच.-15, सूरतगढ (क्षेत्रफल 60'X38'5" वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी हुई है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 30.07.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 09.10.2018 भिजवाये गये। श्री दलीप कुमार एवं संतोष स्वामी को धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस वितरण के फलस्वरूप Post Office के Track Consignment की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार श्री दलीप कुमार एवं श्रीमती संतोष स्वामी को उक्त धारा 13(2) का नोटिस दिनांक

13.10.2018 को तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही बैंक के शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति मकान नं 601, वार्ड नं 04(पुराना वार्ड नं 5) नजदीक शिव मंदिर एनन.एच.-15, सूरतगढ (क्षेत्रफल 60'X38'5" वर्गफुट) जो ऋणी श्री दलीप कुमार एवं श्रीमती संतोष स्वामी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.10.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 09.10.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै. एम.के.एग्रिकल्चर वर्क्स-प्रो. दलीप कुमार एवं श्रीमती संतोष स्वामी के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप Post Office के Track Consignment की प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री दलीप कुमार एवं श्रीमती संतोष स्वामी द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक-स्टेशन रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति मकान नं 601, वार्ड नं 04(पुराना वार्ड नं 5) नजदीक शिव मंदिर एनन.एच.-15, सूरतगढ (क्षेत्रफल 60'X38'5" वर्गफुट) जो कि ऋणी श्री दलीप कुमार एवं श्रीमती संतोष स्वामी के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्री गंगानगर